कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 06.02.2025

विषय:- **थाना भेलूपुर क्षेत्र अन्तर्गत सामूहिक हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त एक लाख का इनामिया विशाल गुप्ता उर्फ विक्की व सहअभियुक्त सगा भाई प्रशान्त गुप्ता उर्फ जूगनू के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।**

दिनांक 04/05.11.2024 को भदैनी में राजेन्द्र गुप्ता, उसकी पत्नी नीतू गुप्ता व 03 बच्चो की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर मु0अ0सं0 0475/2024 धारा 103 बीएनएस पंजीकृत हुआ था जिसके अनावरण के लिए श्रीमान् पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस उपायुक्त काशी श्री गौरव बन्सवाल, पुलिस उपायुक्त अपराध श्री प्रमोद कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त काशी श्री टी. सरवन, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रुति श्रीवास्तव व सहायक पुलिस आयुक्त श्री ईशान सोनी के नेतृत्व में सर्विलान्स/ भेलूपुर थाने की पुलिस टीम गठित की गयी थी पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलान्स व पतारसी सुरागरसी कर आज दिनांक 06.02.2025 को अभियुक्त विशाल गुप्ता उर्फ विक्की व प्रशान्त गुप्ता उर्फ जूगनु पुत्रगण स्व0 कृष्ण लाल गुप्ता निवासीगण म0न0 बी 2/206 भदैनी थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी को सीरगोवर्धनपुर लौटू बीर मन्दिर के निकट समय 13.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त 05 अदद मोबाइल फोन, सिम कार्ड व एक अदद एयरटेल पोर्टेबल वाई-फाई (डोंगल) बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे माता पिता व बाबा की हत्या हमारे चाचा राजेन्द्र गुप्ता द्वारा सन् 1997 में गोली मारकर कर दी गयी थी जिसमें प्रशान्त को भी गोली लगी थी। उसी समय से हम लोगो को राजेन्द्र व उनके परिवार वालो द्वारा नौकर की तरह रखा जा रहा था तथा बार बार मारा पीटा जा रहा था। हम लोग तंग आ गये थे सन् 2022 में राजेन्द्र व उसका बड़ा पुत्र मुझे(विशाल गुप्ता उर्फ

विक्की) बुरी तरह से मारे पीटे तथा कई दिनो तक घर में बन्द किये थे उसी समय मैं इस घटना को करने के इरादे से घर छोड़ दिया व प्रशान्त के साथ मिलकर घटना की योजना बनायी जिसके लिए फर्जी आईडी पर चार पांच मोबाइल सिम लिया तथा बिहार से दो पिस्टल खरीदी। प्लान के तहत दिनांक 04/05.11.2024 की रात को चाचा राजेन्द्र को रोहनियां स्थित उसके निर्माणाधीन मकान पर गोली मारकर हत्या कर दी तथा वहाँ से वापस आकर भदैनी स्थित घर पर चाची नीतू व चचेरे भाई नवनेन्दु गुप्ता उम्र 22 वर्ष, शुभेन्दु गुप्ता उम्र 16 वर्ष तथा चचेरी बहन गौरांगी गुप्ता उम्र 17 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना करने के बाद मैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बिहार निकल गया उसके बाद कोलकाता गया। तब से मैं पटना, कोलकाता तथा मुम्बई रेलवे स्टेशनों पर समय काट रहा था। पुलिस से बचने के लिये मै अपने भाई प्रशांत उर्फ जुगनू से Instagram App पर बात करता था व इसके लिये मैनें 02 फेक आईडी बनाई थी । आज दिनांक 06.02.2025 को मैं पटना से अपने भाई प्रशान्त गुप्ता उर्फ जुगनू से मिलने व पैसा लेने आया था कि पुलिस द्वारा हम दोनों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विशाल गुप्ता उर्फ विक्की पुत्र स्व0 कृष्णा लाल गुप्ता निवासी म0न0 बी 2/206 भदैनी थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष ।
2. प्रशान्त गुप्ता उर्फ जूगनू पुत्र स्व0 कृष्णा लाल गुप्ता निवासी म0न0 बी 2/206 भदैनी थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 31 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 अदद मोबाइल व सीम कार्ड व 26000 रुपये, एक अदद एयरटेल पोर्टेबल वाई-फाई (डोंगल) ।

अपराधिक इतिहास (यदि हो तो)-

मु0अ0सं0 0475/2024 धारा 103/61(2) बीएनएस थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

सर्विलान्स/एसओजी टीम	थाना भेलूपुर पुलिस टीम
1- निरीक्षक श्री दिनेश कुमार यादव प्रभारी सर्विलान्स सेल	1- प्रभारी निरीक्षक श्री विजय नारायण मिश्र
2- उ0नि0 श्री मनीष कुमार मिश्र प्रभारी एसओजी	2- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह चौकी प्रभारी रेवड़ी तालाब
3- उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार जासवाल	3- का0 सुमित शाही
4- हे0का0 विवेक मणि त्रिपाठी	4- का0 सूरज कुमार
5- का0 विराट सिंह	5- का0 अजय सिंह
6- का0 मनीष कुमार	6- का0 सर्वेश सिंह
7- का0 अश्विनी सिंह	
8- का0 बृजेश कुमार यादव	
9- का0 प्रशान्त तिवारी	
10-का0 आदर्श आनन्द सिंह	

नोट- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को एक लाख रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं सर्विलांस प्रभारी नि0 श्री दिनेश कुमार यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी